

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 84 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 319/2024/PB)

Suo Moto: News item titled "Bermo ke Mahuatand mei avaidh balu ke khel mai saikaro tractor se aam log ho rahe pareshan" appearing in News Wing dated 19.12.2023

.....Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. ... Respondent(s)

INDEX

S. N.	Particulars	Page No.
1.	Humble Counter Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board.	01-08
2.	Annexure-A: True copy of letter no 124 dated 22.01.2025	09
3.	Annexure-B True copy of letter No. 200 dated 30.01.2025	10
4.	Annexure-C: True copy of 239 dated 22.02.2025 of D.M.O, Bokaro & memo no 73 dated 14.02.2025 of Officer-in-charge Mahuatand P.S	11-13
5.	Annexure-D: True copy of Board's letter no 727 dated 11.03.2025	14
6.	Annexure-E True copy of calculation chart of Environmental Compensation against accused.	15

Filed by: -


 (Kumar Anurag Singh)
 Advocate
 JSPCB, Ranchi



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 84 of 2024 (EZ)
 (Earlier O. A. No. 319/2024/PB)

Suo Moto: News Item titled "Bermo ke Mahuatand mei avaidh balu ke khel mai saikaro tractor se aam log ho rahe pareshan" appearing in

... Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. ... Respondent(s)

Supplementary Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board in compliance of the order dated 08.08.2024 & 27.11.2024.

I, Manoj Kumar Gupta, son of Late Narayan Lal Gupta presently posted as Officer on Special Duty (OSD), legal section, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and am duly authorized to swear this affidavit and do here by solemnly state and affirm as follows: -

1. That, at present, I am working and posted as OSD (legal section), Jharkhand State Pollution Control


Author: 16
 Date: 19 MAR 2025
 33
 Ref. N.



~~X~~

Board, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.

2. That, I have gone through the order dated 27/11/2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata and have understood the contents therein.
3. That, I have been authorized to swear this affidavit by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.
4. That it is humbly stated and submitted that the Hon'ble Tribunal vide Order dated 08.08.202 and 27.11.2024 was pleased to direct the Jharkhand State Pollution Control Board to compute environmental compensation and file its affidavit.
5. That, it is humbly stated and submitted that vide letter no.124 dated 22.01.2025 of the Board, the Deputy Commissioner, Bokaro and the District Mining Officer, Bokaro were requested to provide the details of the accused persons (Name, parentage & complete postal address), registration number and type of Vehicle involved in illegal sand



mining, volume of sand transported illegally, details of F.I.R's/ Criminal cases lodged against accused persons, number of vehicles seized and amount of penalty realized from the violators.

Photocopy of letter/memo.no.124 dated 22.01.2025 is annexed and marked **Annexure-A**

6. That it is humbly stated and submitted that Jharkhand State Pollution Control Board constituted a three Member Committee comprising of Environmental Engineers, namely Shri Ashutosh and Shri Gourav Jain and Shri Ashok Kumar Yadav, Officer on Special Duty to compute the Environmental Compensation against the violators /accused persons named in FIRs on the basis of the details provided by the Deputy Commissioner-cum-Chairman, District Task Force, District Mining Officers- cum- Member Secretary, District Task Force of respective places of occurrence in the State of Jharkhand.

Photocopy of Office Order no.200 dated 30.01.2025 is annexed and marked **Annexure-B**




7. That it is humbly stated and submitted that District Mining Officer, Bokaro vide letter no.239 dated 22/02/2025 provided the information regarding the details of the accused persons involved in illegal sand mining, storage and transportation of sand e reveals that two named FIRs have been lodged against accused persons for storage of illegal mining enclosing therein a report of Officer-in charge of Mahuatand Police Station contained in memo no. 73/2025 dated 14/02/2025.

Photocopy of letter no. 239 dated 22.02.2025 of D.M.O, Bokaro & memo no 73/2025 dated 14/02/2025 of O/C Mahutard P.S is annexed & marked

Annexure-C

8. That it is humbly stated and submitted that the said Report was made available to the Shri Ashok Kumar Yadav, O.S.D and the Member of the Committee, vide letter no 727 dated 11.03.2025 for computation of Environmental Compensation (EC).

Photocopy of Office letter no. 727 dated 11.03.2025 is annexed and marked **Annexure-D**



9. That, it is humbly stated and submitted that the Environmental Compensation was calculated against the accused named in the FIR as mentioned in the report of the Officer-in-charge, Mahuatand P.S in accordance with the methodology (*Approach-2*) adopted in paragraph 12 of the Order dated 26/02/2021 passed in O.A No.360 of 2015 with other O.As by Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi. The calculation is being reproduced below in brief as follows:-

Environment Compensation Calculation: (Approach 2)

NPV = PV – D

where PV = Present value of foregone Ecological Values

(@ 5% discount rate and over 5 years)

D = Market value of illegally mined material

(Considering market value of illegal mined sand D=Rs.4000/per Tractor)

Annual value of forgone ecological values per Tractor= D*RF

where RF is the Risk Factor (RF=1 in case of severe Risk Level)

D*RF = Rs. 4000.00 x 1= Rs. 4000

$$PV = \sum_{t=1}^5 (4000)/(1 + 0.05)^t$$

$$= 4000 / (1 + 0.05)^1 + 4000 / (1 + 0.05)^2 + 4000 / (1 + 0.05)^3 + 4000 / (1 + 0.05)^4 + 4000 / (1 + 0.05)^5$$

= Rs. 17320.00 per tractor (=100cuft per Tractor)

Total compensation:

NPV = PV – D = 17320 – 4000 = Rs.13320 per tractor (Tractor capacity 100cuft)



10. That it is humbly stated and submitted that accordingly the amount of environmental compensation (EC) calculated against accused persons named in FIRs for which calculation chart was submitted by Shri Ashok Kumar Yadav, OSD of JSPCB.

Photocopy of calculation chart showing environmental compensation is annexed and marked **Annexure-E**

11. That it is humbly stated and submitted that necessary action for imposition/recovery of environmental compensation in accordance with law against the accused persons named aforesaid is being initiated and is under process.

12. That it is further stated and submitted that District Mining Officer has also provided another list containing the names of 24 Tractor owners/drivers with details of the vehicle involved in the transportation of illegally mined out sand against whom fines five been realized in terms of Mines & Mineral Rules. Computation of environmental compensation against the said tractor owners/drivers is under process.





-०१- ANNEXURE - A

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

80

नगर प्रशासन भवन, एच० ई० सी०, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक:-

राँची. दिनांक:-

प्रेषक,

मनोज कुमार गुप्ता,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उपायुक्त,
बोकारो।
जिला खनन पदाधिकारी,
बोकारो।

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूर्वी जोन बेंच, कोलकाता में विचाराधीन वाद O.A No.84/2024/EZ (Earlier O.A No. 319/2024/PB) News Wing के दिनांक-19.12.2023 संस्करण में प्रकाशित समाचार "बेरमो के महुआटॉड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ों ट्रेक्टर से आम लोगों को परेशान" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना।

प्रसंग :- जिला खनन कार्यालय, बोकारो का पत्रांक-796 दिनांक-14.05.2024।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा प्रश्नगत मामले में समर्पित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन में गोमिया अंचल के महुआटॉड़ थानान्तर्गत बालू के अवैध, भंडारण एवं ट्रेक्टर द्वारा परिवहन के विरुद्ध मात्र जप्त वाहन की संख्या, जप्त बालू की मात्रा, वसूल की गयी जर्माना राशि एवं दर्ज प्राथमिकी आदि का विवरण उपलब्ध कराया गया है परन्तु उक्त अवैध कार्य में संलिप्त अभियुक्तों का नाम, पता एवं अन्य की विस्तृत सूचना अंकित नहीं की गयी है।

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायाधिकरण ने बालू के अवैध उत्खनन एवं व्यापार से संबंधित अन्य सदृश्य मामलों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर इसकी बसूली संबंधित अभियुक्तों से करने का आदेश पारित किया है।

अतएव अनुरोध है कि गोमिया अंचल के महुआटॉड़ थानान्तर्गत अवैध ढंग से बालू के भंडारण एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों का नाम, वर्तमान स्थायी पता, बालू/खनिज की मात्रा, जप्त वाहनों का पंजीयन संख्या एवं स्वामित्व का विवरण, थाना में दर्ज प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम/पता एवं अन्य प्रासंगिक सूचना पर्षद को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय जिससे अभियुक्तों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना एवं एतद् संबंधी राशि वसूल करने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई कर माननीय न्यायाधिकरण को अवगत कराया जा सके। कृपया इसे आवश्यक प्राथमिकता प्रदान किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन्

ह०/-


(मनोज कुमार गुप्ता)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

राँची दिनांक- 22/01/2025

ज्ञापांक- 124

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार गुप्ता)
विशेष कार्य पदाधिकारी।





-XO- ANNEXURE-13

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

81

नगर प्रशासन भवन, एचओ ई० सी०, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

का०आ०सं०:- 200

राँची, दिनांक:- 30/01/2025

"कार्यालय आदेश"

माननीय National Green Tribunal, Eastern Zone, Kolkata के वाद संख्या-O.A No. 19/2024/EZ In the Matter of: In re: News item appearing in Hindustan Dated-25.11.2023 titled "गौरी घाट से खुले आम बालू खनन, माफिया लगा रहे करोड़ों का चूना" में पारित आदेश दिनांक-15.04.2024 के Para-9 निम्नवत् है :-

"Considering the facts noted hereinabove and the action taken by the State Respondents, we direct the State Respondents to take steps for determination of Environmental Compensation/Penalty against the illegal miners and proceed to recover the same in accordance with law from the from the illegal miners within a period of three months."

निदेशानुसार उक्त के आलोक में बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित अन्य संदृश्य मामलों में संलिप्त उल्लंघनकर्ताओं एवं अभियुक्तों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु पर्षद की ओर से एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1.	श्री आशुतोष, पर्यावरण अभियन्ता, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (मु०), राँची।
2.	श्री कुमार गौरव जैन, पर्यावरण अभियन्ता, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (मु०), राँची।
3.	श्री अशोक कुमार यादव, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (मु०), राँची।

उक्त गठित समिति बालू के अवैध उत्खनन परिवहन मामलों में एवं जिला खनन पदाधिकारी/थाना प्रभारी से प्राप्त प्राथमिकी दर्ज अभियुक्तों एवं उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन कर विधि शाखा को प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु आँकड़ा उपलब्ध करायेगी।

इसमें सक्षम प्राधिकार आदेश निहित है।


(मनोज कुमार गुप्ता)
विशेष कार्य पदाधिकारी





जिला खनन कार्यालय, बोकारो।

पत्रांक 239 / खनन

बोकारो

दिनांक 22/02/25

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण,
राँची।

विषय :-

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूर्वी जोन बेंच, कोलकाता में विचाराधीन वाद O.A. No. 84/2024/EZ (Earlier O.A No. 319/2024/PB) News Wing के दिनांक 19/12/2023 संस्करण में प्रकाशित समाचार "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ों ट्रेक्टर से आम लोगों को परेशान" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-


आपका पत्रांक 124, राँची, दिनांक 22/01/2025 एवं थाना प्रभारी, महुआटाँड़ के ज्ञापांक 73/2025, दिनांक 14/02/2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से गोमिया अंचल के महुआटाँड़ थानान्तर्गत अवैध ढंग से बालू के भण्डारण एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों का नाम, वर्तमान स्थायी पता की मांग की गई थी, जिसके आलोक में विषयांकित मामले से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 96/खनन, दिनांक 14/02/2025 द्वारा थाना प्रभारी, महुआटाँड़ को पत्र निर्गत किया गया था, जिसके बावत थाना प्रभारी, महुआटाँड़ के ज्ञापांक 73/2025, दिनांक 14/02/2025 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी छाया प्रति एवं इस कार्यालय द्वारा वसूली की गई राशि की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन



2069
06/03/25

22/02/25
जिला खनन पदाधिकारी,
बोकारो।

ज्ञापांक... 73 / 2025

कार्यालय महुआटांड थाना, बोकारो
दिनांक- 14/02/2025

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
बोकारो।

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-96/ खनन, दिनांक-27.01.2025 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यद, राँची के पत्रांक-124, दिनांक-22.01.2025

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूर्वी जोन बेंच, कोलकाता में विचाराधीन वाद O.A. No.84/2024/EZ(Earillier O.A. No. 319/2024/PB) News Wing के दिनांक-19.12.2023 को संस्करण में प्रकाशित समाचार " बेरमो के महुआटांड में अवैध बालू के खेल में सैकड़ों ट्रैक्टर से आम लोगों को परेशान" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सादर पूर्वक सूचित करते हुए कहना है कि "बेरमो के महुआटांड थाना क्षेत्र में अवैध बालू के खेल में सैकड़ों ट्रैक्टर से आम लोगों को परेशान" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कांड सं० / तिथि / धारा	अभियुक्त का नाम पता	ट्रैक्टर इंजन नंबर / रजि०संख्या / चेचिस नंबर	आरोप पत्र / अंतिम प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1.	43/2020 दि०- 10.2020 धारा 379/411 भा०द०वि० एवं 21 खान एवं खनिज अधि०	अप्राथ० अभि० दुलारचन्द साव पिता परमेश्वर साव सा०- गांगपुर थाना-महुआटांड जिला- बोकारो	रजि० नं०- WB1/B2506, चेचिस नं०- QWTB 30600103889	आरोप पत्र सं०- 54/2021 दिनांक-10.12.2021	
2.	29/2023 दि०- 29.08.2023 धारा 414 भा०द०वि० एवं 21 खान एवं खनिज अधि० तथा 54 झारखण्ड खनिज सन्मुदान नियमावली- 2004, 13 झारखण्ड खनिज	1-ट्रैक्टर मालिक रितु साव पे०-मंगर साव सा०- बस्तीटोला, बडकीपुन्नु 2- ट्रैक्टर चालक शंकर किस्कु पिता बाबूराम मांडी सा०-पुटकाडीह दोनों थाना- महुआटांड जिला-बोकारो।	ट्रैक्टर मैक्स स्वराज, मोडल नं०- 735 एफ०ई०, चेचिस नं०- MBNAJ48AFMTF 29757 इंजन नं०- CJ 1354/ME006265	आरोप पत्र सं०- 11/2024 दिनांक-22.04.2024	
	43/2023 दि०- 15.12.2023 धारा 341/ 323/353/ 379/ 120वी०/34 भा०द०वि० एवं 21 खान एवं खनिज अधि० तथा 64 झारखण्ड सन्मुदान नियमावली- 2004, 13 झारखण्ड खनिज	1-सुभाष कुमार सिंह पे० जयनारायण सिंह सा०-बडकी पोना पारडीह थाना रजरप्पा जिला-रामगढ़ 2-इनीफ अंसारी पिता स्व० जियाकत अंसारी सा०-हैसापोडा, थाना गोला जिला-रामगढ़ 3-रामचरण गुप्ता पिता स्व० विरसा मांडी सा०-हैसापोडा थाना-गोला जिला-रामगढ़ एवं 4-अजय कुमार उर्फ अजय गुप्ता पिता स्व० महावीर गुप्ता सा०-पुटकाडीह थाना-महुआटांड	1.ट्रैक्टर चेचिस नं०-MBNABAEXKMRD 06717 इंजन नं०- RMD2EAN2715, रजि०नं०- JH02BG 8371 2- रजि०नं०- JH01 CQ 7050, चेचिस नं०-1VY5042DCHA001911 इंजन नं०- PY3029D418956 3.रजि०नं०- JH05DB8721,	आरोप पत्र सं०- 56/2024 दिनांक-06.11.2024	



			नं०- E3620733	
4	21/2024 दि०- 03. 05.2024 धारा 414 भादवि एवं 21 खान एवं खनिज अधि० तथा 54 झालघु खनिज समुनुदान नियमावली- 2004, 13 झारखण्ड खनिज	जनक साव पिता चेतलाल साव सा०-चितरपुर थाना- रजरप्पा जिला- रामगढ़	ट्रेक्टर JH06N6203, नं०-1VY5036DPLA010592 इंजन PY3029D575229	रजि०नं०- चेचिस नं०- आरोप पत्र सं०- 37/2024 दिनांक-26.08.2024

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।



विश्वासभाजन,

[Signature]
19/3/2025
थाना प्रभारी
महुआटांड (बोकारो)।





~~14~~ ANNEXURE-D
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

85

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.ispcb.nic.in; e-mail- ranchiispcb@gmail.com

पत्रांक:- 727

राँची, दिनांक:- 11/02/2025

प्रेषक,

मनोज कुमार गुप्ता,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री अशोक कुमार यादव,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (मु0), राँची।

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूर्वी जोन बेंच, कोलकाता में विचाराधीन वाद O.A No.84/2024/EZ (Earlier O.A No. 319/2024/PB) News Wing के दिनांक-19.12.2023 संस्करण में प्रकाशित समाचार "बेरमो के महुआटॉड में अवैध बालू के खेल में सैकड़ों ट्रेक्टर से आम लोगों को परेशान" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त उल्लंघनकर्ताओं एवं अभियुक्तों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना के संबंध में।

प्रसंग :- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो का पत्रांक-73 दिनांक-14.02.2025 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विषयगत वाद के संबंध में सूचित करना है कि माननीय NGT द्वारा पारित आदेश दिनांक-24.01.2025 के अनुपालन में अवैध खनन, परिवहन आदि के मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो द्वारा पत्रांक-73 दिनांक-14.02.2025 प्राप्त है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके सुलभ संदर्भ हेतु भेजी जा रही है।

उक्त के आलोक में निवेदन है कि अवैध उत्खनन परिवहन मामलों में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्राथमिकी दर्ज अभियुक्तों एवं उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन कर विधि शाखा को ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु आंकड़ा 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इसमें सक्षम प्राधिकार का आदेश निहित है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(मनोज कुमार गुप्ता)
विशेष कार्य पदाधिकारी।



ANNEXURE - E

S. No.	Case No/ Date/ Clause	Name of accused	Tractor Reg No/ Engine No/Chechis No	Charge Sheet/ Last Report	Accusation				
					Unit	Factor	Quantity	Rate	Total EC in ₹
1	43/2020; dt - 07.10.2020/ 379/411 IPC and 21 Mines & Minerals Act	Dularchand Saw, Gangapur Thana - Mahuaatand Dist - Bokaro	Reg. No. - WB1/82506/ Engine No - Chechis No - QWTFB30600103889	54/2021;DT- 30.12.2021	Tractor	4.33	1	4000	13320
2	29/2023; dt - 29.08.2023 Cl - 414 IPC and 21 Mines & Minerals Act and 54 Jh Small Minirals Samunudaan manual - 2004, 13 Jharkhand Minerals	1. Tractor owner - Ritu Saw S/o Mangar Saw, Vill - Bastitola, Badkipunnoo 2. Tractor driver - Shankar Kisku S/o Baburao Manjhi, Vill - Putkadh, Both the above Thana - Mahuaatand, Dist - Bokaro	Tractor - Max Swaraj; Model No - 735 FE, Engine No - CJ1354/JME006265/ Chechis No - MBNA/48AFMTF29757	11/2024;DT- 22.04.2024	Tractor	4.33	1	4000	13320
3	43/2023; dt - 15.12.2023 Cl - 341/ 323/ 353/ 379/ 120 vi / 34 IPC and 21 Mines & Minerals Act and 54 JH Small Minirals Samunudaan manual - 2004, 13 Jharkhand Minerals	1. Subhash Kumar Singh S/o Jaynarayan Singh, Vill - Badaki Pona Pardih, Thana - Rjrappa, Dist - Ramgarh 2. Inif Ansari S/o Late Lyakat Ansari, Vill - Haisapoda, Thana - Gola, Dist - Ramgarh 3. Ramcharan Mubru, S/o Late Birsa Manjhi, Vill - Haisapoda, Thana - Gola, Dist - Ramgarh and 4. Ajay Kumar urf Ajay Gupta S/o Late Mahavir Gupta, Vill - Putkadh, Thana - Mahuaatand	1. Tractor - Reg. No - JH02BG 8371 Engine No - RMD2EAN2715 Chechis No - MBNABAEKKMIRD 2. Tractor - Reg. No - JH01CQ 7050 Engine No - PY3029D418956 Chechis No - 1VY5042DCHA001911 3. Tractor - Reg. No - JH05DB8721 Engine No - Chechis No -	56/2024; Dt - 06.11.2024	Tractor	4.33	3	4000	39960
4	21/2024; dt - 03.05.2024 Cl - 414 IPC and 21 Mines & Minerals Act and 54 JH Small Minirals Samunudaan manual - 2004, 13 Jharkhand Minerals	Janak Saw S/o Chetal Saw, Vill - Chitarpur, Thana - Rajrappa, Dist - Ramgarh	1. Tractor - Reg. No - JH06N 6203 Engine No - PY3029D575229 Chechis No - 1VY5036DPLA010592	37/2024; Dt - 26.08.2024	Tractor	4.33	1	4000	13320

Note: 1. All the calculation has been made as per the direction given by the NGT in it's order dated 26.02.2021 in OA No - 360/2015 & 575/2019
2. NPV= PV-D (NPV is Net present value, Present value of foregone ecological value @ 5% discount rate, D is Market value of illegally mined material) Rate of tractor Rs. 4000.00

(अशोक कुमार यादव)
विशेष कार्य पदाधिकारी

